2026:RJ-JP:8570

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 900/2020

Rekha Parnami D/o Late Madan Lal Parnami, Aged About 46 Years, R/o 117 Gurunanak Pura, Adarsh Nagar, Jaipur (Rajasthan).

----Appellant

Versus

1. Smt. Jankesh Parnami W/o Late Madan Lal Parnami, R/o 117 Gurunanak Pura, Adarsh Nagar, Jaipur (Rajasthan) 9Owner Of Auto Rikshaw No. Rj 14-Pb-9540)
2. Shri Ram General Insurance Company Limited, E-8, Epip, Riico Industrial Area, Sitapura, Jaipur (Rajasthan)

----Respondents

For Appellant(s)	:	Ms. Surbhi Khandelwal, Adv. & Mr. Devendra Raj Jain, Adv. for Mr. D. D. Khandelwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rishipal Agrawal, Adv. with Mr. Mihir Jangid, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

24/02/2026

अपीलार्थी/दावेदार/प्रार्थी (आगे ''दावेदार'' कहा जावेगा) की ओर से यह अपील धारा 30 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (आगे ''अधिनियम–1923'' कहा जावेगा) के तहत विद्वान न्यायालय, आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 जयपुर द्वारा प्रकरण E.C.C.F. No. 25/2014 में पारित निर्णय दिनांक 01.01.2020 से व्यथित होकर पेश की है, जिसके माध्यम से दावेदार की क्लेम याचिका खारिज की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/दावेदार का निवेदन है कि ऑटो रिक्शा नंबर RJ 14 PB 9540 विपक्षी/प्रत्यर्थी क्रम–1 श्रीमती जनकेश परनामी के स्वामित्व का था, मृतक पवन दुर्घटना के समय इस पर चालक होकर विपक्षी क्रम–1 का कर्मचारी था और इस बाबत् अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है परंतु

इसके बावजूद उसे नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलार्थी/दावेदार की क्लेम याचिका खारिज की गई है, यह निर्णय व निष्कर्ष विधि–विरुद्ध व मनमाना है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–बीमा कम्पनी का तर्क है कि स्वयं प्रार्थीया द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि यह ऑटो रिक्शा मृतक पवन के लिए उसके पिता ने खरीदा था, पूर्व में ऑटो मृतक के पिता के नाम से था और उसकी मृत्यु के उपरांत मृतक की माता के नाम अंतरित हुआ है। मृतक विपक्षी क्रम–1 का कर्मकार हो, इस बाबत् पत्रावली पर कोई दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य नहीं है, अपीलाधीन निर्णय को तथ्यों व विधि के अनुरूप होना बताते हुए अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Sujatha (2019) 11 SCC 514 प्रस्तुत करते हुए यह भी निवेदन किया कि नियोजन का बिंदु तथ्यों से संबंधित हैं, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से निष्कर्ष दिया गया है, विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में ''अधिनियम–1923'' की धारा–30 के प्रावधानों के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Sujatha (Supra) के सुसंगत पैरा संख्या–9, 10, 11 तथा 12 निम्नानुसार हैः–

> **9.** At the outset, we may take note of the fact, being a settled principle, that the question as to whether the employee met with an accident, whether the accident occurred during the course of employment, whether it arose out of an employment, how and in what manner the accident occurred, who was negligent in causing the accident, whether there existed any relationship of employee and employer, what was the age and monthly salary of the employee, how many are the dependents of the deceased employee, the extent of disability caused to the employee due to injuries suffered in an accident, whether there was any insurance coverage obtained by the employer to cover the incident etc. are some of the material issues which arise for the just decision of the Commissioner in a claim petition when an employee

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते
2026:RJ-JP:8570

> suffers any bodily injury or dies during the course of his employment and he/his LRs sue/s his employer to claim compensation under the Act.
> **10.** The afore-mentioned questions are essentially the questions of fact and, therefore, they are required to be proved with the aid of evidence. Once they are proved either way, the findings recorded thereon are regarded as the findings of fact.
> **11.** The appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner lie only against the specific orders set out in clause (a) to (e) of Section 30 of the Act with a further rider contained in first proviso to the Section that the appeal must involve substantial question of law.
> **12.** In other words, the appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner is not like a Regular First Appeal akin to Section 96 of the Code of Civil Procedure, 1908 which can be heard both on facts and law. The appellate jurisdiction of the High Court to decide the appeal is confined only to examine the substantial questions of law arising in the case.

वर्तमान मामले में दावेदार श्रीमती रेखा मृतक की बहन है तथा विपक्षी क्रम–1 मृतक की माता है। प्रार्थीया द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना में लिप्त ऑटो मृतक के पिता द्वारा मृतक के लिए खरीदा गया था, पूर्व में मृतक के पिता के नाम पंजीकृत था बाद में मृतक की माता के नाम अंतरित हुआ है। उपरोक्त स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि वास्तव में इस वाहन का स्वामी, संचालक, उपयोगकर्ता व नियंत्रक मृतक ही था। मृतक विपक्षी क्रम–1 उपरोक्त ऑटो पर कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो, इस बाबत् कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष साक्ष्य के अभाव में हो अथवा महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज किया गया हो, ऐसी स्थिति नहीं है, अतः पारित निर्णय को मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता, यह बिंदु पूर्णतः तथ्यों से संबंधित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में विधि का कोई सारवान प्रश्न इस मामले में अन्तर्वलित नहीं है, इस प्रकार न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित व्यवस्था तथा अधिनियम–1923 की धारा–30 के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

2026:RJ-JP:8570

परिणामतः अपीलार्थी/दावेदार की ओर से प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.01.2020 की पुष्टि की जाती है।

विचारण न्यायालय का अभिलेख, यदि प्राप्त हो रखा है, तो इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /41